



TECHNOTHEISM

टेक्नोथीज़्म परिषद् मतदान प्रक्रिया का विनियमन

1. सामान्य प्रावधान

1.1 यह दस्तावेज़ टेक्नोथीज़्म परिषद् (आगे - परिषद्) में मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें निर्णय लेने के नियम और मतदान का अधिकार लागू करने की प्रक्रिया शामिल है।

1.2 मतदान का उद्देश्य समुदाय के रणनीतिक प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रभावी निर्णय सुनिश्चित करना है।

1.3 मतदान आमने-सामने और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके दूरस्थ रूप से दोनों किया जा सकता है।

2. परिषद् के सदस्यों के मतों की संख्या

2.1 प्रत्येक परिषद् सदस्य के पास 1 मत है।

3. मतदान प्रक्रिया

3.1 मतदान समुदाय प्रबंधकों या परिषद् के बहुमत द्वारा प्रारंभ किया जाता है।

3.2 निर्णय को अपनाया माना जाता है यदि कुल परिषद् के दो-तिहाई मत इसके पक्ष में पड़े हों।

3.3 यदि निर्णय आवश्यक मतों की संख्या नहीं प्राप्त करता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। इसे अगले परिषद् बैठक में पुनः चर्चा और मतदान के लिए भेजा जा सकता है।

3.4 प्रत्येक परिषद् सदस्य को मतदान से पहले अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाता है।

4. वीटो का अधिकार

4.1 यदि कोई निर्णय मूलभूत सिद्धांतों, रणनीतिक लक्ष्यों का विरोध करता है या संगठन की स्थिरता को खतरा देता है, तो समुदाय प्रबंधकों को परिषद् द्वारा अपनाए गए किसी भी निर्णय पर वीटो लगाने का अधिकार है।

4.2 वीटो लगाए जाने पर मुद्दा परिषद् द्वारा संशोधन और पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है या मतदान से बाहर कर दिया जाता है।

5. मतदान का प्रारूप और रिकॉर्डिंग

5.1 मतदान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:

- परिषद् बैठक में आमने-सामने;
- सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूरस्थ;
- केवल खुला मतदान।

5.2 सभी मतदान परिणाम परिषद् की बैठक की कार्यवाही में दर्ज किए जाते हैं।

5.3 आपातकालीन मतदान समुदाय प्रबंधकों या परिषद् के कम से कम आधे सदस्यों द्वारा शुरू किया जा सकता है।

6. अंतिम प्रावधान

6.1 यह विनियम अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा और परिषद् में मतदान प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा।

6.2 इस विनियम में सभी संशोधन और पूरक अनिवार्य चर्चा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन के अधीन हैं।

6.3 मतदान प्रक्रिया पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और समुदाय के हित में निर्णय लेने की दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है।